सप्तदश माला, खंड 21, अंक 12 **गुरुवार, 22 दिसंबर, 2022**

1 पौष, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में अंक 1 से 13 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

विपिन कुमार पाल
उप निदेशक

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 21, दसवां सत्र, 2022 / 1944 (शक)

अंक 12, गुरुवार, 22 दिसंबर, 2022 / 1 पौष, 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	12 -14
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	15
सदस्यों से कोविड मानदंडों का पालन करने का अनुरोध	
तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 221	16-17
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 222 से 240	18
अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760	

* किसी सदस्य के नाम के पर अंकित+ चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 19-44

राज्य सभा से संदेश 45-47

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

74वें से 78वां प्रतिवेदन 47

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

19वां प्रतिवेदन 48

वित्त संबंधी स्थायी समिति

53 वां प्रतिवेदन 48

रेल संबंधी स्थायी समिति

13वां प्रतिवेदन 49

कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

124वां और 125वां प्रतिवेदन 50

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

37वां प्रतिवेदन 51

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

24वां और 25वां प्रतिवेदन 52

दिनांक 16 दिसंबर, 2022 को बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 144 के संबंध में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण 53-55

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

68-70

(एक) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 56

श्री हरदीप सिंह पुरी

(दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022- 23) (मांग संख्या 46) के बारे में विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 134वें और 140वें प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022- 23) (मांग संख्या 47) के बारे में विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 135वें और141वें प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति 57

श्री मनसुख एल. मांडविया

(तीन) कोविड–19 और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम 63-65

श्री मनसुख एल. मांडविया

कार्य मंत्रणा समिति के 38वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 58

नियम 377 के अधीन मामले 61-62, 66-93

(एक) ओडिशा में झारसुगुड़ा हवाई अड्डे से उड़ानों के संचालन के बारे में

श्री नितेश गंगा देब 61-62

(दो) गोड्डा/देवघर में सैनिक स्कूल की स्थापना के बारे में

डॉ. निशिकांत दुबे 66

(तीन) सीतामढ़ी-लौकही रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार यादव 67

(चार) सैनिक एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14021/22) को डिब्बों की पर्याप्त संख्या के साथ चलाए जाने और राजस्थान के बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र कुमार 68

(पांच) जल भण्डारण क्षमता वाले तालाबों एवं प्राकृतिक स्थलों के जीर्णोद्धार के बारे में

श्री विवेक नारायण शेजवलकर 69

(छह) मुंबई, महाराष्ट्र में सड़कों को चौड़ा करने की विकास योजना के बारे में

श्री गोपाल शेट्टी 72

(सात) मिलावटी खाद्य सामग्री के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा 74

(आठ) बिहार के प्रवासी कामगारों की अन्य राज्यों में हो रही मृत्यु के संबंध में

श्री राजीव प्रताप रूडी 75

(नौ) महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण गृहों का निर्माण किए जाने आवश्यकता

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल 76

(दस) गुजरात के भीलडी-समदड़ी रेलवे स्टेशन पर स्थित समपार संख्या बी/59 पर रेल उपरिपुल के निर्माण के बारे में

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल 77

(ग्यारह) देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों के बारे में

श्री बृजेन्द्र सिंह 78

(बारह) छत्तीसगढ़ में भूपदेवगढ़ से धर्मजयगढ़ और धर्मजयगढ़ से रायपुर तक रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गोमती साय 80

(तेरह) गया से डाल्टनगंज तक रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह 81

(चौदह) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 82

(पंद्रह) राजस्थान के अजमेर, जोधपुर और कोटा में सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों की निगरानी के लिए अपर निदेशक की नियुक्ति किए जाने के बारे में

श्री भागीरथ चौधरी 83

(सोलह) चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में

श्री गौरव गोगोई 84

(सत्रह) केरल के बफर जोन में मानव बस्तियों के बारे में प्रारंभिक सेटेलाइट सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में

श्री के. मुरलीधरन 85

(अट्ठारह) एम.एस.एम.ई विलंबित भुगतान अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किए गए भुगतान के बारे में

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर 86

(उन्नीस) भारतीय रेल के सुपरवाइजरी कर्मचारियों की वेतन संरचना के उन्नयन के बारे में

डॉ. डी. रविकुमार 87

(बीस) आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से प्राप्त होने वाले विद्युत बकाए के बारे में

श्री बेल्लाना चन्द्र शेखर 88

(इक्कीस) आयुध कारखानों से अलग कर बनाए गई कंपनियों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीरंग अप्पा बारणे 89

(बाईस) बिहार में जहानाबाद रेलवे स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री चंदेश्वर प्रसाद 90

(तेईस) किसानों को मुफ्त बिजली और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रामशिरोमणि वर्मा 91

(चौबीस) हैदराबाद में इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आई.आई.एस.ई.आर) की स्वीकृति के बारे में

श्री बी. बी. पाटिल 92

(पच्चीस) मुजफ्फरपुर जिले में स्थित सिकंदरपुर स्टेडियम को एक विश्वस्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती वीणा देवी 93

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 94

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 को संयुक्त समिति को सौंपने संबंधी प्रस्ताव 95-99

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 22 दिसंबर, 2022 / 1 पौष, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दु:ख के साथ, सभा को हमारे सात पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं।

श्री कृष्णमराजू अविभाजित आँध्र प्रदेश के काकीनाड़ा तथा नरसापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री कृष्णमराजू वित्त संबंधी समिति और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति (एमपीएलएडीएस) के सदस्य रहे।

श्री कृष्णमराजू ने विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में केन्द्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री कृष्णमराजू का निधन 82 वर्ष की आयु में 11 सितंबर, 2022 को हैदराबाद में हुआ।

श्री धनिक लाल मंडल बिहार के झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य थे।

वे लोक सभा की नियम समिति के सदस्य भी रहे।

श्री मंडल ने भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री के रूप में तथा हरियाणा एवं राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया।

श्री मंडल तीन कार्यकालों के लिए बिहार विधान सभा के सदस्य रहे तथा वर्ष 1967 से 1969 तक बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री धनिक लाल मंडल का निधन 90 वर्ष की आयु में 13 नवम्बर, 2022 को चंडीगढ़ में हुआ।

श्री फूलचंद वर्मा मध्य प्रदेश के उज्जैन तथा शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से पाँचवीं, छठी, सातवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य थे।

एक योग्य सांसद, श्री वर्मा प्राक्कलन समिति और आवास समिति के सदस्य रहे।

इससे पहले, श्री वर्मा मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे तथा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री फूलचंद वर्मा का निधन 83 वर्ष की आयु में 16 नवम्बर, 2022 को मुम्बई में हुआ।

श्री गडाख तुकाराम गंगाधर महाराष्ट्र के अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री तुकाराम खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण तथा कृषि संबंधी समितियों के सदस्य रहे।

श्री गडाख तुकाराम गंगाधर का निधन 69 वर्ष की आयु में 2 दिसम्बर, 2022 को अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री टी. राधाकृष्णन तमिलनाडु के विरुधुनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री राधाकृष्णन वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री टी. राधाकृष्णन का निधन 67 वर्ष की आयु में 11 दिसम्बर, 2022 को विरुधुनगर, तमिलनाडु में हुआ।

श्री मोहन जेना ओडिशा के जाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे। एक योग्य सांसद, श्री जेना ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री मोहन जेना का निधन 65 वर्ष की आयु में 12 दिसम्बर, 2022 को भुवनेश्वर में हुआ।

श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा पंजाब के खडूर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री ब्रह्मपुरा लोक लेखा समिति, नियम समिति और विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

इससे पहले, श्री ब्रह्मपुरा चार कार्यकालों के लिए पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे तथा पंजाब सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा का निधन 85 वर्ष की आयु में 13 दिसम्बर, 2022 को चंडीगढ़ में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.06 बजे</u>

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

ॐ शांति: शांति: शांति:

———————

पूर्वाह्न 11.07 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सदस्यों से कोविड मानदंडों का पालन करने का अनुरोध

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुन: सक्रिय होने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। इस संबंध में जन-जागरुकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है कि जैसे हमारे देश ने पहले सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी इस प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे।

सभी माननीय सदस्यों के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध करा दिए गए हैं।

———————

<u>पूर्वाह्न 11.08 बजे</u>

[हिन्दी]

प्रश्न का मौखिक उत्तर[1]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल, प्रश्न 221 – श्री सुधीर गुप्ता।

श्री सुधीर गुप्ता: अध्यक्ष जी, प्रश्न क्रमांक 221 ... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 221)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को चलाना चाहता हूं। प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण समय होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। सरकार जवाब देने को तैयार है। आप सदन चलाने में सहयोग प्रदान करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाला सदन है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीट पर बैठें। जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उस विषय पर यदि शून्य काल में आपको बोलने के लिए अलाऊ न करूं तो निश्चित रूप से सवाल उठा सकते हैं।

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। सदन आपका है। सदन चलाने की सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या आप प्रश्न काल चलाना नहीं चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं? जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं और सदन में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप नियम के तहत आएंगे, तो मैं निश्चित रूप से आपको अलाऊ करूंगा। आप कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

_____

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 222 से 240

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.09 बजे

[अनुवाद]

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।
https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.01 बजे

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। [अनुवाद] कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(हिन्दी)

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर-3, जनरल वी.के. सिंह जी **।**

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702(अ) जो 15 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके

द्वारा नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) नियम, 2015 मे कतिपय संशोंधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8194/17/22]

(2) (एक) रेलवे संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेलवे संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8195/17/22]

(3) (एक) एयरपोर्ट्स इकॉनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरपोर्ट्स इकॉनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8196/17/22]

(4) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8197/17/22]

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.3252(अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 3275(अ) जो 21 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3644(अ) जो 3 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.3645(अ) जो 3 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ.3724(अ) जो 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा असम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 3725(अ) जो 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ.3851(अ) जो 17 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ.3853(अ) जो दिनांक 17 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 3854(अ) जो दिनांक 17 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मिजोरम राज्य को नए राष्ट्रीय राजमार्ग सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 4088(अ) जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ..4346(अ) जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ..4348(अ) जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में एन.एच.ए.आई. को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 4435(अ) जो 22 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ.4438(अ) जो 22 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ.4611(अ) जो 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ.4743(अ) जो 6 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 4911(अ) जो 17 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(अट्ठारह) का.आ. 5247(अ) जो 11 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ.5427(अ) जो 22 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 5435(अ) जो 22 नवम्बर 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 5572(अ) जो 1 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(6) उपर्युक्त (5) की मद सं (1) से (6) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8198/17/22]

(7) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3274(अ) जो 21 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 3643(अ) जो 3 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3852(अ) जो 17 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 4087(अ) जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 4347(अ) जो 15 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जो 29 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5566(अ) को निरस्त किया गया है।

(छह) का.आ.4352(अ) जो 16 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 4436(अ) जो 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 4437(अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 5426(अ) जो 22 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 5662(अ) जो 5 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 5714(अ) जो 8 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 5715(अ) जो 8 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 5716(अ) जो 8 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(8) उपरोक्त (7) के मद संख्या (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8199/17/22]

[हिन्दी]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल):

महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पावर सिस्टम डवलपमेंट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8200/17/22]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8201/17/22]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (संशोधन) नियम, 2022 जो 9 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 690(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8201ए/17/22]

(दो) विनियामक फोरम (संशोधन) नियम, 2022 जो 9 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 691(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8202/17/22]

(तीन) विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 जो 28 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 852(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8203/17/22]

(चार) विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) नियम, 2022 जो 29 नवम्बर, 2022

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 857(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8204/17/22]

(4) (एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8205/17/22]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8206/17/22]

(2) (एक) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8207/17/22]

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8208/17/22]

(4) (एक) एम.एस.एम.ई.-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8209/17/22]

(5) (एक) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो-दानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो-दानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8210/17/22]

(6) (एक) एम.एस.एम.ई.-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8211/17/22]

(7) (एक) एम.एस.एम.ई.-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8212/17/22]

(8) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8213/17/22]

(9) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), इन्दौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), इन्दौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8214/17/22]

(10) (एक) एम.एस.एम.ई.- टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.- टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8215/17/22]

(11) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8216/17/22]

(12) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल), जालंधर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल), जालंधर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8217/17/22]

(13) (एक) एम.एस.एम.ई.- टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.- टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8218/17/22]

(14) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8219/17/22]

(15) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8220/17/22]

(16) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8221/17/22]

(17) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8222/17/22]

(18) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8223/17/22]

(19) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8224/17/22]

(20) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8225/17/22]

(21) (एक) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई.-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8226/17/22]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8227/17/22]

(ख) (एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8228/17/22]

(दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8229/17/22]

(ग) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8230/17/22]

(घ) (एक) मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8231/17/22]

(ड.) (एक) मैसर्स बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता की वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मैसर्स बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8232/17/22]

(च) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8233/17/22]

(2) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8234/17/22]

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्मित, प्रचालन करने या उनका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./2-एनजीपीएल(08)/2022 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8235/17/22]

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2019 खंड-चार (पी-4121) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8236/17/22]

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2008 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/ टैरिफ(3)/2019 खंड-चार (पी-4121) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8237/17/22]

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण) संशोधन विनियम, 2022 जो 2 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 (पी-3264) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8238/17/22]

(पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी /तक./10-क्षमता/एनजीपीएल और पीपीपीएल/(2)/2022 (पी-3745) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8239/17/22]

(छह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2019 खंड-चार (पी-4121) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8240/17/22]

(4) (एक) फ्यूल टेस्टिंग लैबोरेट्री, सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लैबोरेट्री (रजि.), नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्यूल टेस्टिंग लैबोरेट्री, सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लैबोरेट्री (रजि.), नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8241/17/22]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत 'तेल विपणन कंपनियों में एमएस, एचएसडी तथा एलपीजी की आपूर्ति लॉजिस्टिक प्रचालन' के बारे में भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (2022 का संख्यांक 13) - निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8242/17/22]

(6) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली की वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8243/17/22]

(7) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8244/17/22]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8244ए/17/22]

(2) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8245/17/22]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8246/17/22]

(ख) (एक) एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8247/17/22]

(ग) (एक) एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8248/17/22]

(घ) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8249/17/22]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) – केन्द्रीय सरकार - (वाणिज्यिक) – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (2022 का संख्यांक 34) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8250/17/22]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8251/17/22]

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8252/17/22]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8253/17/22]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरूग्राम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरूग्राम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, , देखिए सं. एल.टी. 8254/17/22]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): महोदय, श्री बिश्वेश्वर टुडु जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8255/17/22]

(2) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8256/17/22]

(3) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8257/17/22]

(4) (एक) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8258/17/22]

(5) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 8259/17/22]

(6) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए,, देखिए सं. एल.टी. 8260/17/22]

(7) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8261/17/22]

(8) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8262/17/22]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए,, देखिए सं. एल.टी. 8263/17/22]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 8264/17/22]

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथा पारित विनियोग (संख्या 5) विधेयक,2022 और विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022 के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

महोदय, मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि राज्य सभा ने 21 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव को स्वीकार किया है जिसमें बहु-राज्य सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक, 2022 पर सभाओं की संयुक्त समिति गठित किए जाने के लिए लोक सभा की सिफारिशों से सहमति व्यक्त की गई है और उक्त संयुक्त समिति में सेवा देने के लिए राज्य सभा के 10 सदस्यों को नामनिर्दिष्ट भी किया गया है।

महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्याक 5) विधेयक, 2022 को, जिसे लोक सभा द्वारा 14 दिसंबर, 2022 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध मे कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

"राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्याक 4) विधेयक, 2022 को, जिसे लोक सभा द्वारा 14 दिसंबर,2022 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध मे कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार, 21 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की सिफारिश से सहमति व्यक्त करते हुए संलग्न

प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि राज्य सभा बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति में शामिल होती है। प्रस्ताव में उक्त संयुक्त समिति में सेवा देने के लिए राज्य सभा के सदस्यों के नाम दिए गए हैं।

<u>प्रस्ताव</u>

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक के संबंध में सभाओं की संयुक्त समिति से सहयोजित होती है और यह प्रस्ताव करती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाएं:-

1. श्री घनश्याम तिवाड़ी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
3. श्री धनंजय भीमराव महादिक
4. श्री रामचंद्र जांगड़ा
5. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल
6. श्री सुखेन्दु शेखर राय
7. श्री एन.आर. इलांगो
8. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी
9. श्री सुजीत कुमार
10. श्री एस निरंजन रेड्डी

"राजा सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 21 दिसंबर, 2022 को

हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गये समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2022 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.05 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

74वें से 78वां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रशेखर साहु (बेहरामपुर): मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ: -

1. 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकृत)' के बारे में 74वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
2. 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत)' के बारे में 75वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
3. 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकृत)' के बारे में 76वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
4. 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत)' के बारे में 77वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
5. 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 78वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.05 ¼ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

19वां प्रतिवेदन

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-2023)' के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

अपराह्न 12.05½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

53वां प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): मैं 'बिग टेक कंपनियों के प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार' विषय के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 53वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.05¾बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

13वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): महोदय, मैं 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

———————

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नंबर 17, श्री अरुण साव।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

124वां और 125वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मलूक नागर (बिजनौर): मैं कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) विधायी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 114वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई संबंधित 124वां प्रतिवेदन।

(2) विधि कार्य विभाग से संबंधित अनुदानों की मांग (2022-23) के बारे में समिति के 115वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई संबंधी 125वां प्रतिवेदन।

———————

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.06½ बजे

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

37वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला का आयात-रुझान और आत्मनिर्भरता का मुद्दा' विषय के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

24वां और 25वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी (मछलीपटनम): मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात नियम/विनियम आदि बनाये जाने तथा नियमों को सभा पटल में रखने में विलम्ब की स्थिति संबंधी 24वां प्रतिवेदन; और

2. विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा स्कंध (समूह 'क' पद क्षेत्रीय भाषाएं) भर्ती नियम, 2020 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

———————

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

दिनांक 16 दिसंबर, 2022 को बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 144 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): महोदय, मैं दिनांक 16 दिसंबर, 2022 को बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 144 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण*(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

* सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 8191/17/22

660

Statement ~~to be~~ made on the floor of the House of Lok Sabha

I, Dr. Mansukh Mandaviya, while answering the supplementary questions for the Lok Sabha Starred Question No. 144 ***on 16.12.2022*** regarding 'Setting up of Bulk Drug Parks' of Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, inadvertently mentioned 'Telangana' State instead of 'Andhra Pradesh' State, while giving reply to the supplementary question by the Hon'ble MP Shri Nama Nageswara Rao, on the selection of States under the Scheme of *Promotion of Bulk Drugs Parks*.

Reply given by me on 16.12.2022	Correct reply
Applications have been received from total 13 states and the said applications from these 13 states have been evaluated. Hon'ble Member said that Hyderabad is also an importation place for Pharma industry. I would like to state to the Hon'ble Member that the application, received for the Hyderabad of Telengana, has been approved by the Govt. of India.	Applications have been received from total 13 states and the said applications from these 13 states have been evaluated. Hon'ble Member said that Hyderabad is also an importation place for Pharma industry. I would like to state to the Hon'ble Member that the application, received for Andhra Pradesh has been approved by the Govt. of India.
Hyderabad will get rupees one thousand crore. Apart from it, other states are Himachal Pradesh and Gujarat. The applications of Bulk Drug Park in respect of these three states have been approved after evaluation.	Andhra Pradesh will get rupees one thousand crore. Apart from it, other states are Himachal Pradesh and Gujarat. The applications of Bulk Drug Park in respect of these three states have been approved after evaluation.

(Dr. Mansukh Mandaviya)
Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare

Dr. MANSUKH MANDAVIYA
Minister for Health & Family Welfare
and Chemicals & Fertilizers
Government of India

661

रखा गया देखें 1024

लोक सभा के सदन के पटल पर किया जाने वाला विवरण

मैं, डॉ. मनसुख मांडविया, ने दिनांक 16.12.2022 को औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 'बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना' से संबंधित लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 144 के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, बल्क ड्रग पार्कों के संवर्धन की योजना के तहत राज्यों के चयन पर माननीय संसद सदस्य श्री नामा नागेश्वर राव के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए 'आंध्र प्रदेश' राज्य के बजाय अनजाने में 'तेलंगाना' राज्य का उल्लेख किया।

दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा दिया गया उत्तर	सही उत्तर
कुल मिलाकर 13 राज्यों से एप्लीकेशन आई थी और इन 13 राज्यों से जो एप्लीकेशन आई है, उनका इवैल्यूएशन किया गया । माननीय सदस्य ने कहा कि हैदराबाद भी फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि तेलंगाना के हैदराबाद के लिए जो एप्लीकेशन आई थी, उसे भारत सरकार ने अप्रूव किया है।	कुल मिलाकर 13 राज्यों से एप्लीकेशन आई थी और इन 13 राज्यों से जो एप्लीकेशन आई है, उनका इवैल्यूएशन किया गया । माननीय सदस्य ने जो कहा कि हैदराबाद भी फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के लिए जो एप्लीकेशन आई थी, उसे भारत सरकार ने अप्रूव किया है।
एक हजार करोड़ रुपये हैदराबाद के लिए मिलेगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात है। इन तीन राज्य के लिए बल्क ड्रग पार्क के एप्लीकेशन को इवैल्यूएशन के बाद अप्रूव किया गया है।	एक हजार करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश के लिए मिलेगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात है। इन तीन राज्य के लिए बल्क ड्रग पार्क के एप्लीकेशन को इवैल्यूएशन के बाद अप्रूव किया गया है।

(डॉ. मनसुख मांडविया)
रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

डॉ. मनसुख मांडविया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
व रसायन एवं उर्वरक मंत्री
भारत सरकार

अपराह्न 12.08½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(i) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों (2022-23) की मांगों के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी): महोदय मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

———

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 8192/17/22

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग संख्या 46) के बारे में विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 134वें और 140वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग संख्या 47) के बारे में विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 135वेंऔर141वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति *

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग संख्या 46) के बारे में विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 134वें और 140वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग संख्या 47) के बारे में विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 135वेंऔर141वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

———

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी.8193/17/22

अपराह्न 12.09 ½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 38वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 21 दिसम्बर, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 38वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 21 दिसम्बर, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 38वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———————

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: अब, 'शून्य काल' लेंगे ।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.10 बजे

इस समय श्री मोहम्मद सदीक, श्रीमती डिम्पल यादव तथा कुछ अन्य

माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, अभी चर्चा बहुत बाकी है और बी.ए.सी में जो निर्णय हुआ है, उसके अनुसार कल हमारा सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने वाला है।... (व्यवधान) ऐसा स्पीकर साहब ने बीएसी में कहा था।... (व्यवधान) वह भी एक निर्णय हुआ है और दो-तीन बिल्स हैं।... (व्यवधान) सर, मैं निवेदन करता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से एक डिटेल्ड वक्तव्य दिया है।... (व्यवधान) उसके बाद मिलिट्री का एक स्टेटमेंट आया है। [अनुवाद] विपक्ष को कम-से-कम हमारे सैन्य कर्मियों के वक्तव्य पर तो विश्वास करना चाहिए। [हिन्दी] उनका तो कम से कम बिलीव करना चाहिए। इससे पहले भी ऐसे ही हुआ है।... (व्यवधान) यह सेंसेटिव मामला है।... (व्यवधान) इस पर डिटेल्ड डिस्कशन हाउस में नहीं हुई है।... (व्यवधान) जब ये सरकार में थे तो हमने अपील की थी।... (व्यवधान) ये इनसिडेंट अदर हाउस में डिप्टी चेयरमैन ने ऑलरेडी... (व्यवधान) मैं अपील करता हूं कि ये लोग चाइना पर जो चर्चा करना चाहते हैं, इनके कालखंड में हमने कितनी लैंड खोई, चीनी हिन्दी भाई-भाई के बारे में क्या-क्या असर पड़ा, ये सब जानते हैं।... (व्यवधान) जो लोग चीन से रिश्वत लेते हैं, वे ऐसे ही हंगामा करने की कोशिश करते हैं।... (व्यवधान) मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया ऐसे मत कीजिए और सदन चलाओ।... (व्यवधान) मैं यह हाथ जोड़ कर आपसे अपील करता हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : देखिये, बहुत सारे माननीय सदस्य जीरो अवर में बोलना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस अभी शेष है। [अनुवाद] बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा की जानी बाकी है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : कृपया सहयोग कीजिए। चर्चा होने दीजिए। सदस्यों को जीरो अवर में अपनी बातें रखने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कल सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने वाली है। माननीय सदस्यों के लिए आज का दिन उपलब्ध है तथा और भी सदस्य जो बोलना चाहते हैं, उनको भी अवसर दिया जा सकता है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 12.12 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2:00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

*(*डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई *सोलंकी पीठासीन हुए)*

अपराह्न 2.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों, आइटम नंबर – 23, नियम 377 के तहत मामले।

श्री जुगल किशोर शर्मा – उपस्थित नहीं।

श्री राजीव प्रताप रूडी – उपस्थित नहीं।

श्री नितेश गंगा देब जी।

(एक) ओडिशा में झारसुगुड़ा हवाई अड्डे से उड़ान संचालन के बारे में

[अनुवाद]

श्री नितेश गंगा देब (सम्बलपुर): महोदय, ओडिशा के झारसुगुड़ा में वीर सुरेन्द्र साइ हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर, 2018 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) के तहत किया गया।

अपराह्न 2.02 ½ बजे

इस समय श्री रवनीत सिंह, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

मैं हर मौसम में कार्य करने वाली उपकरण लैंडिंग प्रणाली (आई.एल.एस.) शुरू करने के लिए पूर्व नागर विमानन मंत्री का बहुत आभारी हूं, जो लैंडिंग के दौरान पायलटों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज मार्गदर्शन दोनों की तकनीक प्रदान करता है। हाल के महीनों में इस हवाई अड्डे से लगातार उड़ानें

रद्द की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप हवाई यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाई अड्डे से आज तक दिल्ली के लिए एयर इंडिया की कोई सीधी उड़ान नहीं है।

मेरा संसदीय क्षेत्र सम्बलपुर पश्चिमी ओडिशा का औद्योगिक, खनन और वाणिज्यिक केंद्र है। पश्चिमी ओडिशा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के हवाई यात्री यात्रा के लिए इस हवाई अड्डे पर निर्भर हैं। मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से इस मामले पर तत्काल ध्यान देने और न केवल दिल्ली बल्कि अन्य मेट्रो शहरों जैसे बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता के लिए भी जल्द से जल्द नियमित उड़ानें सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ।

———————

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

कल हाऊस समाप्त हो रहा है। जो सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अपराह्न 02.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य-जारी

(तीन) कोविड–19 और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया) : महोदय, वैश्विक कोविड-19 महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ।

सर, कोविड-19 महामारी, आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले तीन वर्षों में, वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। लेकिन पिछले एक साल से भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5.87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यू.एस ए., फ्रांस, ग्रीस, इटली आदि जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत् वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी, चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने [अनुवाद] सक्रिय, पूर्व-निवारक, संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण [हिन्दी] के साथ, शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं।

तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, [अनुवाद] आपातकालीन कोविड रिस्पांस पैकेज, [हिन्दी] और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लडाई के उनके प्रयासो में लगातार सहायता प्रदान की है।... (व्यवधान)

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर 220.02 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान रचा है, जिसमें पात्रता वाले 90 प्रतिशत आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रीकॉशन डोज भी दिया जा चुका है।... (व्यवधान) कोविड-19 के नियमन

में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अतंर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है ।... (व्यवधान) कोविड-19 के बदलते वैरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उस पर सरकार कदम उठा रही है ।... (व्यवधान) राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है ।... (व्यवधान) राज्यों को जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सिक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वैरिएंट आता है तो समय से उसकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़े कदम उठाए जा सकें ।... (व्यवधान) आने वाले त्यौहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड्स सैनिटाइज़ करना, [अनुवाद] सांस लेने संबंधी स्वच्छता [हिन्दी] का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए ।... (व्यवधान)

राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रीकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रीकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए ।... (व्यवधान) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड [अनुवाद] आर.टी.पी.सी.आर. रेंडम सैम्पलिंग [हिन्दी] भी आज शुरू कर दी गई है ।... (व्यवधान)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में [अनुवाद] "टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण - कोविड उपयुक्त व्यवहार [हिन्दी] का पालन" नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट करता रहा है और उसे आगे भी चालू रखेंगे ।... (व्यवधान)

इस वैश्विक महामारी के नियमन, नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।... (व्यवधान)

महोदय, मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं ।... (व्यवधान) सभी माननीय सदस्य, लोगों के बीच में जागरूकता लाएं कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रीकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए ।... (व्यवधान)

हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ सकंल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरुरत है ।... (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8193क/17/22]

———————

अपराह्न 2.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले-जारी

[हिन्दी]

माननीय सभापति : श्री निशिकांत दुबे जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

(दो) गोड्डा/देवघर में सैनिक स्कूल की स्थापना के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं सामान्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र के पिछड़ेपन और विशेष रूप से गोड्डा और देवघर के क्षेत्र (क्षेत्रों) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि मेरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है। प्राचीन काल से, इस पूरे क्षेत्र को प्राचीन शिक्षा प्रणाली, सामाजिक मानदंडों और रीति-रिवाजों के प्रसार का अग्रदूत माना जाता था। इस तथ्य के बावजूद इस क्षेत्र में शिक्षा की समग्र स्थिति की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। गोड्डा /देवघर में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की पुरजोर मांग की गई है ताकि इस क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

फरवरी 2016 को, तत्कालीन माननीय रक्षा मंत्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए गोड्डा/देवघर में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की घोषणा की। उक्त घोषणा के परिणामस्वरूप, रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक स्कूल स्थापित करने की परियोजना को तुरंत स्वीकृति प्रदान की गई थी। हालाँकि, चिंता की बात यह है कि तब से पाँच साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस परियोजना में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

(तीन) सीतामढ़ी-लौकही रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, मैं मिथिलांचल के सीमावर्ती तीन जिलों के लोगों तथा इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास हेतु बहुप्रतीक्षित सीतामढ़ी से निर्मली वाया सुरसंड, साहारघाट, जयनगर, लौकही नई रेल लाइन, जिसकी परिकल्पना एवं धरातल पर उतारने का प्रयास एक दशक पहले किया गया था, को यथाशीघ्र शुरू करने का आग्रह करता हूं।... (व्यवधान) ज्ञातव्य हो कि रेलवे सूत्रों के हवाले से समाचार पत्रों में मार्च 2011 एवं अप्रैल 2012 में प्रकाशित खबरों के अनुसार इस रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया था एवं रेलवे ने इस रेल लाइन के लिए भू-अधिग्रहण हेतु 30 करोड़ रूपये भी आवंटित किये थे तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। दी गई जानकारी के अनुसार 189 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए 6 वर्षीय योजना पर 693 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान था। इससे सीतामढ़ी व मधुबनी जिले की कोसी पार के सहरसा एवं सुपौल जिलों से दूरी घट जाएगी।... (व्यवधान)

(चार) सैनिक एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14021/22) को डिब्बों की पर्याप्त संख्या के साथ चलाए जाने और राजस्थान के बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): सभापति महोदय, झुंझुनूं जिला सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है एवं शेखावाटी इलाके का महत्वपूर्ण भाग है। यहां से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। गाड़ी संख्या 14021/14022 सैनिक एक्सप्रेस में केवल 14 डिब्बे हैं, जिससे लोगों को जगह न मिलने की वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ रही हैं।... (व्यवधान) गाड़ी संख्या 14021/14022 सैनिक एक्सप्रेस को फुल लोड (1 ए.सी. कोच सहित) 24 कोच से चलाया जाए तथा बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस (श्रीगंगानगर से बान्द्रा ट्रेन सं.14701/14702) सहित लम्बी दूरी की एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं होने के कारण हजारों की संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस श्रीगंगानगर से बान्द्रा ट्रेन सं. 14701/14702 का ठहराव करवाया जाए।... (व्यवधान)

(पाँच) जल भण्डारण क्षमता वाले तालाबों एवं प्राकृतिक स्थलों के जीर्णोद्धार के बारे में

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): सभापति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 अप्रैल, 2022 को देश के प्रत्येक जिले में 75-75 तालाबों के निर्माण के लिए अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया गया था।... (व्यवधान) अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य तालाबों के निर्माण के साथ-साथ उन्हें पर्यटन के लिए आकर्षक बनाना, तालाब के चारों तरफ पेड़-पौधे लगाना एवं लोगों को तालाबों के महत्व के प्रति जागरूक करना भी है।... (व्यवधान) मुझे यह बताते हुये अति प्रसन्नता हो रही है कि मेरे ग्वालियर जिले में अमृत सरोवर के लिये 100 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है।वर्तमान तक ग्वालियर जिले में 58 सरोवरों का निर्माण हो चुका है। इन अमृत सरोवरों में बारिश का पानी संरक्षित होने से ग्रामीणों को बहुत फायदा मिल रहा है। जल संरक्षण के लिये यह योजना बहुत कारगर साबित हो रही है।... (व्यवधान) मेरा आग्रह है कि ग्रामीण अंचल में अमृत सरोवर योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद सरकार को शहरी निकायों एवं इसके आसपास पुराने तालाबों एवं जल संग्रह स्थलों के पुनरुद्धार करने पर गंभीरता से विचार करने के साथ-साथ रेनवाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) के लिये जनजागरूकता अभियान चलाना चाहिए।... (व्यवधान) क्या जलशक्ति मंत्रालय इस संबंध में कोई कदम उठाने जा रहा है? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमारे सदस्य बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। यह आपको शोभा नहीं देता है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न चार बजे पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती रमा देवी *पीठासीन हुईं*)

... (व्यवधान)

अपराह्न 4.0 ½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले-जारी

[हिन्दी]

माननीय सभापति : श्रीमती गोमती साय।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री गोपाल शेट्टी।

... (व्यवधान)

अपराह्न 4.01 बजे

इस समय श्री हैबी ईडन, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री दयानिधि मारन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(छह) मुंबई, महाराष्ट्र में सड़कों को चौड़ा किए जाने की विकास योजना के बारे में

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदया, आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी वर्ष 2027 तक देश की इकॉनमी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घोषणा से पूरे देश में विशेष कर युवाओं में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है और हमारे प्रधान मंत्री जी औद्योगिक क्षेत्र से लेकर अवसंरचना विकास पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। उदहारण के तौर पर हमारे देश में वर्ष 2011 में अवसंरचना विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और आज वर्ष 2022 में इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस प्रकार से देश में नए रास्तों के निर्माण, रेलवे लाइन के विस्तारीकरण, एयरलाइन्स इत्यादि के लिए भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय ही नहीं लिया गया, बल्कि तेज गति से काम हो रहा है। मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री जी ने राज्य की ओर से 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के संकल्प में 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान महाराष्ट्र की ओर से देने का संकल्प किया है। चूंकि, मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए राज्य सरकार के इस संकल्प में मुंबई शहर का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। यह भी विदित ही है कि केंद्र सरकार के राजस्व में मुंबई की ओर से बड़े पैमाने पर भिन्न-भिन्न टैक्स के रूप में पैसा आता है। लेकिन, मुंबई शहर इन दिनों ट्रैफिक की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है और पीक आवर्स में 10-15 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, जिससे व्यापारी वर्ग ही नहीं, बल्कि आम नागरिक और नौकर वर्ग को भी हर रोज चार-चार घंटे यातायात के अवरूद्ध होने की वजह से गंवाने पड़ते हैं। मैं सदन को अवगत करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी के केन्द्रीय नेतृत्व में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी आज पूरे देश में जो सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर से ही हुई थी। अतः मेरी सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि जैसे मुंबई शहर के लिए मेट्रो रेल के लिए केंद्र सरकार ने योगदान दिया है, उसी प्रकार से मुंबई की सड़कों को भी तेज गति से चौड़ा करने के लिए डेवलपमेंट प्लान (डी.पी.) में बताये गए सभी रास्तों के निर्माण के लिए आर्थिक योगदान देकर निश्चित समय सीमा में यहां की यातायात समस्या को दूर करने में अपना योगदान देने की कृपा करें। इसके लिए मैं और मुंबई शहर के सभी नागरिक सरकार के आभारी होंगे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री सुशील कुमार सिंह।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा।

... (व्यवधान)

(सात) मिलावटी खाद्य सामग्री के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): महोदया, आज देश में सब्जी और फल आदि पर कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से किसान पैदावार बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में है, लेकिन शरीर को स्वस्थ व जवान बनाए रखने के लिए प्रयोग हो रहे फल व सब्जियों का असर मानव जीवन पर विपरीत पड़ रहा है। कीटनाशक से प्रभावित सब्जी या फल फायदे से अधिक शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेस्टिसाइड युक्त फल और सब्जी खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। कभी जहां हमारे देश में दूध की नदियां बहा करती थीं, अब वहां हर चीज में मिलावट का आलम है तथा दूध भी इससे अछूता नहीं रहा है। मिलावटी खान-पान स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि किसान और जो लोग लोभ के कारण मिलावटी वस्तुएं बेचने के काले कारोबार में जुटे हुए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई से इस पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए।

(आठ) अन्य राज्यों में बिहार के प्रवासी कामगारों की हो रही मृत्यु के संबंध में

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): हाल ही में, उन मामलों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है जिनमें बिहार के प्रवासियों ने अन्य राज्यों में अपनी जान गंवाई है। बिहार में आधे से अधिक परिवारों के पुरुष सदस्य नौकरी और बेहतर पारिश्रमिक की तलाश में बाहर जाते हैं। सबसे ज्यादा पलायन सारण, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, तिरहुत और पूर्णिया से होता है। केवल दिल्ली में ही कुल प्रवासियों में से 18 प्रतिशत बिहार से आते हैं। प्रवासियों की औसत आयु 32 वर्ष है और उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक निजी कारखानों में काम करते हैं या दिहाड़ी श्रमिकों के तौर पर काम करते हैं। इन प्रतिवेदनों में उन घटनाओं की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला गया है जिनमें बिहार के प्रवासी श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई है। 5 अगस्त 2022 को, आतंकवादियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में एक मजदूर की हत्या कर दी गई थी और 2 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा कई दुखद मौतें हुई हैं, जिनमें इमारतों के ढहने से छपरा के तीन भाइयों की मौत, आग लगने की दुर्घटना में बिहार के ग्यारह मजदूरों की मौत, तथा सड़क दुर्घटनाओं में बिहार के चार मजदूरों की मौत शामिल हैं। जहां बिहार के प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ सामान्य रूप से उनके रोजगार के क्षेत्रों में प्रवासियों की सुरक्षा की बात आती है तो ये मामले एक मजबूत सुरक्षा तंत्र की कमी को उजागर करते हैं। इसलिए इस मुद्दे का तत्काल समाधान किए जाने के साथ साथ यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पूरे देश के एवं बिहार के कामगारों को अपना बहुमूल्य जीवन ऐसी दु:खद एवं टाली जा सकने वाली घटनाओं के कारण गवाना न पड़े।

(नौ) महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए पंचायत और प्रखंड स्तर भंडारण गृहों का निर्माण किए जाने आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय सभापति जी, मेरा संसदीय लोक सभा क्षेत्र महारागंज, बिहार मुख्य रूप से कृषि आधारित ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के किसानों द्वारा कृषि से उत्पादित फसलों को सुरक्षित, भंडारित करने के लिए भंडार गृहों की बहुत ही कमी है। किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे स्वयं भंडार गृह बनवा सकें। सरकार से सहयोग प्राप्त कर भंडार गृह निर्माण की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है कि किसान इसका व्यापक लाभ लेकर भंडार गृहों का निर्माण कर सकें। इस परिस्थिति में किसानों को सुरक्षित भंडारण गृहों के अभाव में अपने उत्पादित फसलों को कम दामों में बिक्री करनी पड़ती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार के ग्रामीण इलाकों में पंचायत या प्रखंड स्तर पर छोटे मझौले क्षमतावाले अत्याधुनिक ग्रामीण भंडारण गृहों का निर्माण सरकारी स्तर से कराया जाये ताकि किसानों को लाभ मिले।

(दस) गुजरात के भीलडी-समदड़ी रेलवे स्टेशन पर स्थित समपार संख्या बी/59 पर रेल उपरिपुल का निर्माण के बारे में

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत एल.सी संख्या बी/159 भीलडी - समदडी सेक्शन रेलवे लाइन पर स्थित है। गुजरात राज्य का हाइवे नंबर- 54 जो कि फोर लेन है और डीसा तथा थराद के बीच स्थित है, इसी एल.सी.बी./159 से क्रॉस करता है। ज्ञात हो कि यह राज्य की सड़क मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के पांच से छह तालुका से गुजरती है। यहाँ पर आबादी घनी होने के कारण और ट्रैफिक भी अधिक होने के कारण हम रेलवे से आर.ओ.बी. के निर्माण की मांग लम्बे समय से करते आए हैं। गुजरात सरकार ने [अनुवाद] रेल उपरि पुल [हिन्दी] के निर्माण के लिए 50% राशि की स्वीकृति भी दे दी है, परंतु रेलवे की तरफ से अब तक इस रेल उपरि पुल के निर्माण के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ... (व्यवधान)

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से यह आग्रह है कि रेलवे इस आर.ओ.बी. के निर्माण को आगामी बजट में शामिल करें तथा साथ ही इसको रेलवे की पिंक बुक में भी शामिल किया जाये। ... (व्यवधान)

(ग्यारह) देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय के बारे में

श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार): सभापति महोदया, आज के समय में सड़क सुरक्षा एक प्रमुख विषय है। असुरक्षित सड़कें कई बार वाहन चालकों के दैनिक आवाजाही को दयनीय बना देती है। दुर्घटना संभावित क्षेत्र, अवैध कट व गड्ढे, सड़कों पर अनियंत्रित जानवरों का अचानक प्रवेश तथा रात में प्रकाश की कमी कुछ ऐसे कारण हैं, जो दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में हर साल 10 से 11 हजार सड़क हादसे होते हैं, जिसमें से करीब पांच हजार लोगों की मौत हो जाती है। यह सभी हादसे असुरक्षित सड़कों के कारण होता है। दैनिक जागरण के रिपोर्टर ने सड़क विशेषज्ञों के साथ 22 जिलों में 6227 किलोमीटर लंबी 218 प्रमुख सड़कों का ऑडिट किया और पाया कि 255 सड़कें बाटलनेक हैं, 377 दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, 1013 अवैध कट हैं, 104 में स्ट्रीट लाइट नहीं है और 725 जगह सड़कों के डिजाइन में कमी है। ... (व्यवधान)

इस सन्दर्भ में, मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि सर्वेक्षण में बताई गई कमियों को तुरंत प्रभाव से दूर करने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त सड़क डिजाइन की कमियों को दूर करने के लिए एवं सड़कों के नियमित और उचित रखरखाव के लिए एक विशेषज्ञ परामर्श समिति का गठन किया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 4.14 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न चार बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

———

अपराह्न 4.30 बजे

लोक सभा चार बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती रमा देवी *पीठासीन हुईं*)

अपराह्न 4.30¼ बजे

इस समय श्री हैबी ईडन, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री गुरजीत सिंह औजला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

अपराह्न 4.30½बजे

नियम 377* के अधीन मामले - जारी

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन बचे हुए मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे।

(बारह) छत्तीसगढ़ में भूपदेवगढ़ से धर्मजयगढ़ और धर्मजयगढ़ से रायपुर तक रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़): रेल कोरीडोर परियोजना भूपदेवपुर से धरमजयगढ़ पूर्ण हो चुकी है और इसमें माल गाड़ी से कोयला परिवहन माह नवम्बर 2019 से निरंतर हो रहा है । जबकि इस कॉरीडोर परियोजना में पेसेंजर ट्रेन चलाने का प्रावधान है परन्तु आज दिनांक तक पैसेंजर ट्रेन चालू नही हुई है । पैसेंजर ट्रेन परिचालन हेतु सभी निर्माण एवं आवश्यक व्यवस्था जैसे टिकट काउण्टर , स्टेशन , प्लेटफार्म कार्य पूर्ण हो चुका है । धरमजयगढ़ क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ के लोगो का वर्षों पुराना सपना है कि रेल गाड़ी में बैठकर जिला मुख्यालय रायगढ़ एवं राजधानी रायपुर की यात्रा करें ।

धरमजयगढ़ से जिला मुख्यालय रायगढ़ होते हुए झारसुगड़ा एवं राजधानी रायपुर को जोड़ने के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई जायें। रायगढ़ रेलवे स्टेशन की सुविधाओं में भी विस्तार की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जिला मुख्यालय रायगढ़ शहर के बीचों बीच में रेलवे स्टेशन है । स्टेशन के दोनो ओर शहर बसा हुआ है । मुख्य प्लेटफार्म में आने के लिए पूरे शहर का चक्कर लगाना पड़ता है । इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए मुख्य प्लेटफार्म की विपरीत दिशा दक्षिण में प्लेटफार्म निर्माण, नया टिकट घर, वाहन स्टैण्ड एवं फुट ओवरब्रिज की अति आवश्यकता है । साथ ही दिव्यांगो एवं बुजुर्गों को एक नंबर प्लेटफार्म से दूसरे नंबर प्लेटफार्म में जाने सीढ़ी से चढ़ कर जाने में कठिनाई होती है । इसलिए दिव्यांगों एवं बुजुर्गों से संबंधित सभी विशेष सेवाओं का निर्माण किया जाए ।

*सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(तेरह) गया से डाल्टनगंज तक रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार का औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र गया एवं औरंगाबाद दो जिलों में विस्तृत है तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ये दोनों ही जिले भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है यधपि विगत एक दशक में केंद्र सरकार के प्रयासों से इन आकांक्षी जिलों में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं गृह मंत्रालय के विशेष प्रयासों के तहत सड़क निर्माण और सड़क संपर्कों की सघनता से जहाँ बेहतर सड़क संपर्कों से विकास दर को गति मिली है वही उग्रवाद पर लगाम कसना भी संभव हो सका है।

दक्षिणी बिहार के ये दोनों जिले गया -औरंगाबाद झारखंड राज्य के चतरा, हजारीबाग आदि उग्रवाद प्रभावित जिलों से सटे है 1 वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग है कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में गया, शेरघाटी, बाँके बाजार, इमामगंज, डुमरिया होते हुए झारखंड में डाल्टेंगंज को रेल सेवा से जोड़ा जाए। रेल सेवा का यह विस्तार बेहतर स्थानीय संपर्क के साथ उग्रवाद नियंत्रण में उपयोगी होगा।

(चौदह) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): केंद्र सरकार द्वारा 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं शैक्षणिक विकास के उद्देश्य से समेकित बाल विकास परियोजना अर्थात् आंगनबाड़ी योजना आरम्भ की गई थी जिसके तहत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा है। मेरे गृह राज्य बिहार सहित देश में लाखों महिलाएं आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के रूप में काम करते हुए नौनिहालों की देख-रेख और उनके बौद्धिक विकास में सराहनीय योगदान दे रही है परन्तु, उसके एवज में उन्हें उचित मानदेय नहीं मिलता है। योजना के शुरुआत में काफी कम मानदेय पर इन आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं की बहाली हुई थी जिसमें समय-समय पर कुछ बढ़ोतरी भी हुई है परन्तु महंगाई के हिसाब से यह नाकाफी है। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं आंदोलनरत हैं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि आंगनबाड़ी केन्द्रो में कार्यरत सेविका एवं सहायिकाओं की कठिनाइयों को देखते हुए महंगाई के हिसाब से उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी करते हुये उन्हें सरकरी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाये।

(पंद्रह) राजस्थान के अजमेर, जोधपुर और कोटा में सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों की निगरानी के लिए अपर निदेशक की नियुक्ति किए जाने के बारे में

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): गत अप्रैल 2019 में देश के 33 डाक औषधालयों का सीजीएचएस में विलय हुआ जिसके तहत राजस्थान प्रदेश में भी अजमेर, जोधपुर और कोटा औषधालयों को सीजीएचएस में विलय कर उनका प्रशासनिक नियंत्रण ए.डी., सीजीएचएस, जयपुर के अधीनस्थ कर दिया गया। जिससे उक्त तीनों स्थानों के पेंशनरों के विभिन्न कार्य जैसे कार्ड बनवाना, कार्ड का नवीनीकरण, प्रतिबंधित दवाएं आदि हेतु बार-बार मजबूरी वश जयपुर जाना ही पड़ता है। इससे ए.डी. कार्यालय, जयपुर पर भी काम का बोझ भी बढ़ गया है। ज्ञात रहे कि राजस्थान में अजमेर मे जोधपुर और कोटा कल्याण केन्द्रों से सबसे अधिक पेंशनर कार्ड अजमेर के पास है। जहां अजमेर में 1228 पेंशनर कार्ड हैं जबकि जोधपुर में 1060 और कोटा में केवल 299 पेंशनर कार्ड हैं। चूंकि अजमेर, जोधपुर और कोटा के मध्य में भी स्थित है। पूर्व में, डाक विभाग में डी.डी.जी. मेडिकल के जितने पद थे, उन्हें सीजीएचएस में डाक औषधालयों के साथ विलय कर दिया गया था। डी.डी.जी. मेडिकल के 05 पद ऐसे भी थे जिनका विलय डाक औषधालयों से सीजीएचएस मे हुआ था तो इनमें से 01 पद को नए ए.डी. कार्यालय के लिए अजमेर को दिया जा सकता है। अतः अजमेर, जोधपुर एवं कोटा आरोग्य केन्द्रों के लिये अजमेर में एक अपर निदेशक का नवीन पद चालू वितीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत करने की सक्षम विभागीय कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित करें। साथ ही यहां स्वीकृत कार्मिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भराने के साथ-साथ संचालित भवन जो कि डाक विभाग का 100 वर्ष पुराना भवन हैं, के नियमित रखरखाव एवं मरम्मतीकरण हेतु आवश्यक बजट भी स्वीकृत करावें।

(सोलह) चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): जून 2020 के बाद, गलवान टकराव के बावजूद चीन से भारत का आयात बढ़ा। 2021-22 में चीन के साथ व्यापार घाटा 73.31 बिलियन अमरीकी डॉलर था। जी.ई.एम. पोर्टल में 'उत्पत्ति का देश' टैग अपने आप ही भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना देगा। यदि सरकार ऐसा मानती है, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि इस उपाय ने व्यापार को कैसे प्रभावित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विकास की गारंटी के लिए पूंजीगत व्यय का मार्ग अपनाती है। इसी सरकार ने सभा को यह भी सूचित किया है कि 'चीन से आयातित अधिकांश सामान', अन्य बातों के साथ-साथ, 'पूंजीगत सामान' हैं। आठ साल तक शासन करने और तथाकथित 'पूंजीगत व्यय मार्ग' अपनाने के बाद भी सरकार सीमा तनाव के बीच चीन से पूंजीगत सामान आयात करती रही। वर्ष 2022 के दौरान भारत के लैपटॉप आयात में भारी वृद्धि हुई। चीन में पूरी तरह से निर्मित वस्तुओं में लैपटॉप का आयात सबसे बड़ी मात्रा में हुआ हैं और यह प्रवृत्ति तब है जब चीन से ईमेल के आई.पी. पते से एम्स के सर्वर पर साइबर हमला हुआ है। मई 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के बाद से ही चीनी हैकर ग्रुप लगातार भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निशाना बना रहे थे।। मैं सरकार से इस बात का जवाब चाहता हूं कि जनवरी-सितंबर 2022 में चीन को भारत का निर्यात 36.4% क्यों गिर गया है जबकि सीमा तनाव के बीच चीन से भारत का आयात 31% बढ़ गया है।

(सत्रह) केरल के बफर जोन में मानव बस्तियों के प्रारंभिक सेटेलाइट सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में

श्री के. मुरलीधरन (वडाकरा): इको-सेंसिटिव जोन (एस.ई.ज़ेड) क्षेत्रों को संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास भारत में अधिसूचित किया गया है। एस.ई.ज़ेड घोषित करने का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक प्रकार के 'शॉक एबज़ॉर्बर' बनाना है।

हाल ही में, केरल राज्य रिमोट सेंसिंग और पर्यावरण केंद्र द्वारा तैयार प्रारंभिक उपग्रह सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य में बफर क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जारी की गई है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों या बफर क्षेत्रों में मानव बस्तियों पर प्रारंभिक उपग्रह सर्वेक्षण रिपोर्ट में गंभीर चिंता जताई गई है।

रिपोर्ट में स्पष्टता की कमी के कारण व्यापक शिकायतें सामने आई हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र, वडाकारा में, संरक्षित वनों से सटा हुआ एक विशाल क्षेत्र है। चक्किकट्टापारा, कोठाली, चेंगारोथ, मारुथोंगरा आदि गांव मालाबार संरक्षित वन के बफर जोन में स्थित हैं। प्रारंभिक उपग्रह सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्पष्टता नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों के निवासी भ्रमित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य भर में बफर जोन में 49,330 इमारतें हैं। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। बफर जोन में दो लाख से अधिक इमारतें हैं। कई सर्वेक्षण संख्याएं गलत तरीके से दी गई हैं और स्थानों को स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया गया है।

अतः मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त संदर्भ में क्षेत्र सर्वेक्षण ठीक से किया जाए।

(अट्ठारह) एम.एस.एम.ई. विलंबित भुगतान अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किए गए भुगतान के बारे में

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): भारत सरकार के एम.एस.एम.ई मंत्री ने एम.एस.एम.ई. विलंबित भुगतान अधिनियम, 2016 पारित किया है, लेकिन सामग्री की आपूर्ति और प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित भुगतान की वसूली की कार्यवाही में बहुत अधिक समय लगता है। मध्यम, लघु और अति लघु उद्यम परिषद से पुरस्कार के बाद लगभग 60% एम.एस.एम.ई. को समय पर भुगतान नहीं मिल सका।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विनिर्माण की आपूर्ति पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को आपूर्तिकर्ता मध्यम, लघु और अति लघु उद्यम से और खरीदार उद्योगों से विलंबित भुगतान पर जी.एस.टी. मिलना चाहिए। यदि मध्यम, लघु और अति लघु उद्यम द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं किया जाता है, तो चूककर्ता का जी.एस.टी. अर्थात खरीदार के माल और सेवाओं के खाते को निलंबित कर दिया जाएगा तथा भुगतान करवाने और की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बैंक खाते को भी फ्रीज कर दिया जाना चाहिए।

समय पर विलंबित भुगतान का भुगतान सुनिश्चित करने की यह सुदृढ़ प्रणाली भारत में करोड़ों मध्यम, लघु और अति लघु उद्यम को बचाएगी। भारत सरकार के मध्यम, लघु और अति लघु उद्यम मंत्री ने मध्यम, लघु और अति लघु उद्यम विलंबित भुगतान अधिनियम, 2016 पारित किया है, लेकिन कार्यवाही में सामग्री की आपूर्ति और प्रदत्त सेवाओं से संबंधित भुगतान की वसूली में बहुत अधिक समय लगता है। मध्यम, लघु और अति लघु उद्यम परिषद से पुरस्कार के बाद लगभग 60% मध्यम, लघु और अति लघु उद्यम को समय पर भुगतान नहीं मिल सका।

(उन्नीस) भारतीय रेल के सुपरवाइजरी कर्मचारियों की वेतन संरचना के उन्नयन के बारे में

डॉ. डी. रविकुमार (विलुप्पुरम): माननीय रेल मंत्री ने 16 नवंबर को अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय रेलवे के सभी पर्यवेक्षी कर्मचारियों को जी.पी. - 4,600/- रुपए से 4,800/- रुपए और 5,400/- रुपए से वेतन संरचना के उन्नयन का लाभ मिलेगा। लेकिन यह राशि अब तक आर.पी.एफ. के सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों को नहीं दी गई है। अनिवार्य रूप से, रेलवे सुरक्षा बल के कुछ विभागों को यह उन्नयन प्राप्त हुआ है, जबकि अन्य को नहीं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में परिकल्पित समानता के खंड का उल्लंघन है। आर.पी.एफ. में इंस्पेक्टर कैडर, बल के लिए महत्वपूर्ण है और वे रेलवे प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 24x7 अग्रिम पंक्ति में काम करते हैं ऐसा न किये जाने के कारण, समय पर पदोन्नति से वंचित होने के अलावा, वे वेतन संरचना के उन्नयन से भी वंचित रह जाते हैं, जिसे यदि लागू किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति संबंधी निराशा को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।

मेरा अनुरोध है कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय रेलवे में जो पदोन्नति रुकी हुई है उन पर भी विचार किया जाए। समय पर पदोन्नति न होने से भारतीय रेल के कर्मचारियों में निराशा व्याप्त हो सकती है और काम की गुणवत्ता खराब होने जैसे प्रभाव पड़ सकते हैं। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 10 के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल कार्मिकों को रेल कर्मचारियों के रूप में माना जाता है और इस प्रकार उपरोक्त उन्नयन रेलवे पर्यवेक्षी अधिकारियों पर भी लागू होता है। इन सब को देखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि वेतन संरचना को उन्नत किया जाए और और वेतन प्रदान किया जाए।

(बीस) आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से प्राप्त होने वाले विद्युत बकाए के बारे में

श्री बेल्लाना चंद्र शेखर (विज़यानगरम): संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.) ने केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित पी.ओ.एस.ओ.सी.ओ. पत्र के विशिष्ट निदेश पर 10.06.2017 तक तेलंगाना को बिजली की आपूर्ति करना जारी रखा जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के विपरीत था। हालाँकि, अब तक बिजली आपूर्ति मद में तेलंगाना से 6,886 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जानी बाकी है। इस संबंध में, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस वर्ष अगस्त के महीने में यह निर्देश दिया कि उत्तराधिकारी तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश को 30 दिनों की अवधि के भीतर उचित राशि का भुगतान करेगा। आदेश में कहा गया है कि बिजली बकाया के लिए भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में कोई विवाद नहीं है, मूल राशि 3,441.78 करोड़ रुपये है, और विलंब भुगतान अधिभार 3,315.14 करोड़ रुपये (31 जुलाई, 2022 तक) है - जो लागू प्रावधानों के अनुसार मूल राशि के अतिरिक्त भुगतान किया जाना है। हालांकि, तेलंगाना सरकार ने दिए गए निर्देश को स्वीकार नहीं किया है। उपरोक्त के मद्देनजर, मैं सरकार से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(इक्कीस) आयुध कारखानों से अलग कर बनाए गई कंपनियों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): रक्षा मंत्रालय द्वारा 41 आयुध निर्माणी का 7 कंपनी मे विभाजन होने के पश्चात् आयुध महानिदेशक के दि.10/10/2021 के पत्र अनुसार फिर से अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, लेकिन इस आदेश में अनुकम्पा नियुक्ति केन्द्रीय कर्मचारियों के अनुसार या निगम नियम अनुसार होगी, यह स्पष्ट नही किया गया है। अभी वर्तमान में आयुध निर्माणी में लगभग तीन हजार नियुक्ति प्रलंबित हैं और इनमे कोरोना काल में मृतक कर्मचारियों की संख्या के स्थान पर उनके आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने की संख्या बहुत अधिक है जबकि 2019 से अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है जबकि प्रधानमंत्री जी ने दस लाख नौकरियों की घोषणा की है। जो अभी नियुक्तियां हो रही हैं इसमें अनुकम्पा का 5 प्रतिशत कोटा लागू किया गया है लेकिन आयुध निर्माणी में यह 5 प्रतिशत कोटा लागू होने से अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति होने के बाद भी सभी आश्रितों की अनुकम्पा आधारित नियुक्ति नहीं हो पा रही है है जबकि आयुध निर्माणी का 7 कंपनी मे विभाजन के बाद सभी अनुकम्पा नियुक्ति का ना होने से आने वाले दिनो में एक सामाजिक विरोधाभास होने की संभावना है।

अतः रक्षा मंत्रालय से अनुरोध है कि आयुध निर्माणी में अनुकंपा के आधार पर 5 प्रतिशत नियुक्ति के कोटा को बढ़ाकर और आश्रितों को एक बार छूट देकर मृतकों के आश्रितों को नौकरी में नियुक्ति देने हेतु आवश्यक कार्यवाई करें।

(बाईस) बिहार में जहानाबाद रेलवे स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): किसी शहर के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड उसके सौंदर्य का बड़ा पैमाना होते हैं। इस पैमाने पर जहांनाबाद शहर काफी पिछड़ा प्रतीत होता है। शहर के रेलवे स्टेशन सामान्य यात्री सुविधा के अभाव का दंश झेल रहा है। हालांकि वर्ष 2014 में इसे मॉडल बनाने की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। बजट में कई स्टेशनों को माडल बनाने की चर्चा हुई थी। जिसमें जहांनाबाद भी प्रमुख रूप से शामिल था। इस दिशा में फिलहाल कोई कार्य नहीं हो सका। हालात यह है कि स्टेशन परिसर में अवैध तरीके से ऑटो स्टैंड बन गया है। परिसर में एक सार्वजनिक शौचालय भी उपलब्ध है लेकिन इसमें भी साफ सफाई का घोर अभाव है। प्लेटफार्म संख्या दो पर बनाए गए महिला- पुरुष यात्रियों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा है। लेकिन साफ सफाई के अभाव के कारण यह उपयोग लायक नहीं रह गया है। रेलवे द्वारा परिसर से अतिक्रमण कर संचालित दुकानों को हटाया तो जरूर गया है लेकिन आटो चालकों की मनमानी आज भी जारी है। माडल स्टेशन के तहत स्टेशन के सर्कुलेटिग एरिया को विकसित करना, रेस्ट रूम, वेटिग रूम,नहाने की सुविधा के साथ - साथ महिलाओं के लिए अलग से वेटिग रूम, कंप्यूटर आधारित अनाउंसमेंट, संकेतक, पे एंड यूज टायलेट, वाटर कूलर, प्लेटफार्म ऊंचे करना,एफओबी का निर्माण, सुर्कलेटिग एरिया में रैंप आदि का निर्माण कर स्टेशनों को विकसित किया जाना था। लेकिन मॉडल योजना के तहत इन योजनाओं में से किसी का संचालन अभी तक इस स्टेशन में नहीं हो सका है।

मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि जहानाबाद स्टेशन को मॉडल स्टेशन स्कीम के हिसाब से सभी यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दें।

(तेईस) किसानों को मुफ्त बिजली और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान देश के किसानों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आज हमारे देश का किसान बहुत परेशान है। किसानों की सबसे प्रमुख समस्या कृषि लागत में कई गुना बढ़ोतरी है। उदाहरण स्वरूप डी ए.पी., यूरिया, पोटाश, बीज, कीटनाशक आदि के दामों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साथ डीजल और बिजली की मंहगाई की वजह से लागत भी बढ़ी है।

सरकार से मांग है कि किसानों की गम्भीर समस्याओं को देखते हुए अतिशीघ्र गन्ने का दाम लगभग 500 रु0 प्रति कुंतल बढ़ाया जाए व हमारे संसदीय क्षेत्र के जनपद बलरामपुर में बजाज चीनी मिल में किसानों के गन्ने का बकाया राशि जल्द से जल्द से भुगतान कराया जाये।

किसानों की फसलों का मूल्य भी लागत के अनुपात में बढ़ाया जाये। किसानों को निःशुल्क बिजली के साथ ही साथ किसानों के के.के.सी. लोन पर ब्याज फ्री किया जाए।

(चौबीस) हैदराबाद में इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आई.आई.एस.ई.आर) की स्वीकृति के बारे में

[अनुवाद]

श्री बी. बी. पाटिल (जहीराबाद): भारत सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा नीति के एक भाग के रूप में 2006 से सात भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एस.ई.आर.) आरम्भ किए हैं। हालांकि, हैदराबाद को मौका नहीं दिया गया। हैदराबाद में उच्च शिक्षा अनुसंधान इको-सिस्टम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई. टी), भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.सी.टी.), राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एन.जी.आर.आई), कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र (सी.सी.एम.बी.), राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एन.आई.एन.), इंडियन बिज़नेस स्कूल (आई.एस.बी.) आदि शामिल हैं, जो मूल विज्ञान और अनुसंधान के उद्देश्यों को समर्पित उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आई.आई.एस.ई.आर. को विकसित होने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेंगे।

इसलिए, संबंधित संस्थानों के साथ शहर में उपलब्ध विशाल अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए हैदराबाद में आई.आई.एस.ई.आर. को मंजूरी देने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार आई.आई.एस.ई.आर. की स्थापना के लिए आवश्यक और उपयुक्त भूमि प्रदान करने के लिए तैयार है।

(पच्चीस) मुजफ्फरपुर जिले में स्थित सिकंदरपुर स्टेडियम को एक विश्वस्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र और शिक्षा का केन्द्र मुजफ्फरपुर जिले में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सिकन्दरपुर स्टेडियम को विस्तारित कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाये। यह जिला स्मार्ट सिटी के लिए भी चयनित है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बन जाने से जिले का विकास तीव्र गति से होगा और सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति होगी।

———————

अपराह्न 4.31 बजे

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022*

माननीय सभापति: माननीय मंत्री - श्री पीयूष गोयल जी।

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास-आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए छोटे अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास-आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए छोटे अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री पीयूष गोयल: महोदया, मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूँ।

... (व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 22.12.2022 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

<u>अपराह्न 4.36 बजे</u>

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 को संयुक्त समिति को भेजे जाने संबंधी प्रस्ताव

[हिन्दी]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : सभापति महोदया, हमारे देश में ऐसे कई सारे कानून हैं, जिनमें छोटी-छोटी गलतियों के लिए लोगों को सजा दी जाती है, लोगों को कोर्ट्स के धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है ।... (व्यवधान) हमारी सरकार का मानना है कि हमें लोगों पर विश्वास करना चाहिए, हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए ।... (व्यवधान)

साधारणतः व्यापारी हो, आम जनमानस हो, वे एक ईमानदार व्यवस्था चाहते हैं । वे ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ईमानदारी से अपना उद्योग-कारोबार चलाते हैं । कभी-कभार उनसे गलती भी हो जाती है ।... (व्यवधान) ऐसे में हमारा मानना है कि जो छोटी-छोटी गलतियां हैं, उसके लिए उनको कोर्ट्स में न जाना पड़े, इसके लिए हम ऐसे प्रावधान बनाएं, जिसमें अगर कोई गलती हो, तो व्यक्ति को दंड भी दिया जाए, लेकिन उसको समस्या न हो ।... (व्यवधान)

वर्ष 2014 से ही हमारी सरकार लगातार जनता की जिंदगी आसान बनाने के लिए अलग-अलग निर्णय लेती जा रही है । आपको ध्यान होगा कि सबसे पहला निर्णय सेल्फ अटेस्टेशन का लिया था, ताकि लोगों को नोटरी के पास न जाना पड़े, हम अपने स्वयं के सिग्नेचर से कागजात को अटेस्ट कर सकें ।... (व्यवधान) ऐसे ही जीएसटी जैसे नए कानून हैं, जिससे टैक्स के सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है । माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने अन्य अलग-अलग काम किए हैं, उससे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग पर बड़ा प्रभाव पड़ा है ।... (व्यवधान)

हम चाहते हैं कि देश और विश्व भर के जो निवेशक भारत में आते हैं, उनको रेड टेप के बजाय रेड कारपेट मिले । उसी के लिए हमने कई वर्षों से मेहनत की है ।... (व्यवधान) ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की रैंकिंग में भी विश्व पटल पर हमारी जो रैंक 141 थी, वह आज 63 पर आ गई है।... (व्यवधान) मेरा मानना है कि जो पूरी सरकार है, आज पूरी सरकार मशक्कत कर रही है, एक साथ

लगी हुई है। होल ऑफ द गवर्नमेंट का सहयोग लेकर, हमने लगभग 1,500 पुराने कानूनों को निरस्त किया है।... (व्यवधान)

लगभग 39 हजार कंप्लायंसेस को सरल किया और लगभग साढ़े तीन हजार ऐसे प्रावधान लाए गए हैं, जिन्हें डी-क्रिमिनलाइज करके लोगों को राहत दी गई है।... (व्यवधान) हम मानते हैं कि ये जो कंप्लायंस बर्डन कम किया गया है, उससे सरलीकरण भी होगा और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों का व्यापार और जीवन ज्यादा सरल होगा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, इस कानून में माननीय प्रधान मंत्री जी की अद्वितीय कल्पना से एक एक्ट में एक साथ 183 प्रोविजन्स अर्थात 19 अलग-अलग मंत्रालयों के 42 कानूनों में 183 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने का काम इस कानून के द्वारा किया गया है।... (व्यवधान) हम समझते हैं कि जनता का विश्वास और व्यापार उद्योग का विश्वास सबसे महत्वूपर्ण है।... (व्यवधान) इससे कोर्ट्स के ऊपर भी बर्डन कम होगा इसलिए इसका नाम भी 'जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन्स) बिल, 2022' दिया गया है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास-आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए छोटे अपराधों को निरापराधिकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य, अर्थात्:-

1. श्री पी.पी. चौधरी
2. डॉ. संजय जायसवाल
3. श्री उदय प्रताप सिंह
4. श्री संजय सेठ
5. श्रीमती क्वीन ओझा
6. श्री खगेन मुर्मु

7. श्रीमती पूनमबेन माडम

8. श्रीमती पूनम महाजन

9. श्रीमती अपराजिता सारंगी

10. श्री अरविन्द धर्मापुरी

11. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

12. श्री रतन लाल कटारिया

13. श्री गौरव गोगोई

14. एडवोकेट डीन कुरियाकोस

15. श्री ए. राजा

16. प्रो. सौगत राय

17. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

18. श्री गजानन कीर्तिकर

19. श्री राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह

20. श्री पिनाकी मिश्रा

21. श्री गिरीश चन्द्र

और राज्य सभा के 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और संशोधनों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

[अनुवाद]

"कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास-आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए छोटे अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्यों वाली सदन की संयुक्त समिति को भेजा जाए:-

1. श्री पी.पी. चौधरी

2. डॉ. संजय जायसवाल

3. श्री उदय प्रताप सिंह

4. श्री संजय सेठ

5. श्रीमती क्वीन ओझा

6. श्री खगेन मुर्मु

7. श्रीमती पूनमबेन माडम

8. श्रीमती पूनम महाजन

9. श्रीमती अपराजिता सारंगी

10. श्री अरविन्द धर्मापुरी

11. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

12. श्री रतन लाल कटारिया

13. श्री गौरव गोगोई

14. एडवोकेट डीन कुरियाकोस

15. श्री ए. राजा

16. प्रो. सौगत राय

17. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

18. श्री गजानन कीर्तिकर

19. श्री राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह

20. श्री पिनाकी मिश्रा

21. श्री गिरीश चन्द्र

और राज्य सभा के 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक रिपोर्ट देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और संशोधनों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

[हिन्दी] प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: कृपया आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सभी को वर्ष 2024 में आना है। आपके काम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जा रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप ऐसा मत कीजिए। आप हाउस को चलने दीजिए। शांति रखिए, शांति रखिए। यह अच्छी बात नहीं है। आप शांति बनाकर रखिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 4.40 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 23 दिसम्बर 2022 / 2 पौष, 1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित